समाहरणालय, रोहतास

(जिला निर्वाचन शाखा)

(अल्पकालीन निविदा)

मतदान सामग्री/लेखन सामग्री/टेंट–समियाना/जेनरेटर एवं विद्युत सामग्री/भाड़े पर सामग्री आदि की आपूर्त्ति के लिए अल्पकालीन निविदा

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 के क्रम में ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट से मतदान कराने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के (A) मतदान/मतगणना सामग्री, लेखन सामग्री, (B) विविध निर्वाचन प्रपत्रों का मुद्रण/रजिस्टर मुद्रण (C) टेन्ट/समियाना कुर्सी आदि (D) जेनरेटर, अस्थायी विद्युतिकरण, ध्वनी विस्तारक यंत्र (E) लाइव टेलीकास्ट आधारित लाईव विडियों स्ट्रीम लाईनिंग, विडियोग्राफी, डिजिटल विडियोग्राफी, भाड़े पर कम्पयूटर/कम्पयूटर ऑपरेटर, टी0वी0, डी0वी0डी0 स्कैनर, फोटो स्टेट मशीन एवं अन्य सामग्री (F) खाना, नास्ता एवं चाय आदि की आपूर्ति (G) कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक मेडिकल किट आदि के लिए दर के निर्धारण हेतु अनुभवी, योग्य एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ इच्छुक एवं सक्षम फर्मों से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म जो निविदा की सारी शर्तों को पूर्ण करते हो, सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकी निविदा एवं दूसरा वित्तीय निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, रोहतास में दिनांक– 13-07-20 को 2.00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 13-07-20 को 3.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। स्वयं निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय जिला क्रय समिति की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता जिला निर्वाचन शाखा, रोहतास से किसी भी कार्यदिवस में 1000.00 (एक हजार रूपया) नाजीर रसीद के माध्यम से जमा कर दिनांक 11-07-20 के संध्या 3.00 बजे तक निविदा की प्रति प्राप्त कर सकते है। तकनीकि एवं वित्तीय निविदा का प्रपत्र तथा विस्तृत जानकारी रोहतास जिला के वेवसाईट http//rohtas.bih.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

(क) **सामान्य शर्तें** :

1. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनो लिफाफे को अलग से एक बड़े लिफाफा में डालकर उसे मुहरबंद कर देना होगा।
2. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बॉटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. निविदा के साथ प्रोपराईटर का नाम/फर्म का नाम/मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रीयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। चरित्र प्रमाण–पत्र पुलिस अधीक्षक, रोहतास से निर्गत होना चाहिए जो छः माह के अन्दर का हो।
7. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
8. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।

9. कार्य आवंटित होने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय में/कार्यस्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध क..ना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा। सामग्रियो को समाहरणालय में लाने हेतु मजदूरी एवं मार्ग व्यय निविदा में सम्मिलित रहेगा।

10. सामग्रियों का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना होगा, नमूना संलग्न नहीं होने पर उक्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

11. आपूर्ति की जाने वाला भोजन/नाश्ता/चाय कार्य स्थल पर सर्व करना होगा।

12. पैकेटिंग कार्य में पोलथीन थैला का व्यवहार नहीं होगा। सभी भोजन सामग्री को अल्मूनियम फोआइल के पैकेट्स में पैक कर आपूर्ति करनी होगी।

13. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के कारण नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

14. सभी निविदाताओं को इस आशय का नोटरी द्वारा बनाया गया शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि उन्हें पूर्व में कभी किसी जिले अथवा किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

15. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एव उसे काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

(ख) <u>तकनीकी निविदा की शर्तेः</u>–

1. फर्म को जी0एस0टी0/उद्योग विभाग/आयकर विभाग/वाणिज्यकर विभाग में तीन वर्षो से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र/पैन न0 देना होगा। साथ ही विगत तीन वर्षों यथा 2017–18, 18–19 एवं 19–20 Assessment Year का आयकर रिर्टन देना होगा एवं अद्यतन जी0एस0टी0 जमा करने की विवरणी की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्म को संबंधित विभाग से Bihar Shop and Establishment act के अधीन निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ सम्बंधित फर्म को आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहना चाहिए। ग्रुप (A) से (G) तक के लिए मो0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के पक्ष में सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
5. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है एवं किसी राजनैतिक दल से सम्बद्व नहीं है।
6. मुद्रित किए जाने वाले प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कागज का नमूना, निविदा के समय प्रस्तुत करना होगा। 70 GSM for A4 and Legal sized papers एवं पम्पलेट मूद्रण हेतु कम से कम 60 GSM के कागज का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. विगत लोकसभा/विधानसभा चुनावों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा, एवं कार्यादेश की छाया प्रति देनी होगी।
8. जेनसेट के विपत्र के भुगतान के पूर्व विद्युत विभाग से विद्युत आपूर्ति की अवधि का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जेनसेट के लॉगबूक का क्रॉस–वेरीफिकेशन कराया जाएगा। तदोपरांत हीं विपत्र का भुगतान होगा।

9. निविदा के साथ भोजन नास्ता बनाने हेतु सक्षम प्राधिकार का लाईसेन्स प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

10. वि[illegible] का भुगतान सामग्री/प्रपत्र के गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित दर पर की जायेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी होने पर अनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

11. निविदा के साथ दी जानेवाली सामग्रियों का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. जिस सामग्री के लिए **BIHAR SHOP & ESTABLISHMENT ACT** एवं सेवाकर के अंतर्गत निबंधित है, तो उसे उसी सामग्री के लिए उस **ACT** के तहत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

सामग्री संख्या :–

1. लेखन सामग्री।
2. मतदान/मतगणना सामग्री।
3. कम्पयूटर सामग्री।
4. प्रपत्र/रजिस्टर मुद्रण।
5. टेन्ट समीयाना एवं विद्युतिकरण/ध्वनी विस्तारक यंत्र।
6. फोटो स्टेट/विडियोग्राफी/डिजिटल फोटोग्राफी/फ्लैक्स निर्माण।
7. कम्पयूटर टी0वी0, सी0सी0 टी0वी0 इत्यादि।
8. खाना/नास्ता एवं चाय इत्यादि।
9. कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक मेडिकल किट आदि

13. भुगतान की कार्रवाई सामग्री/प्रपत्रों की गुणवत्ता के आधार पर जॉचोपरान्त की जाएगी। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आवश्यक्तानुसार राशि कटौती कर ली जाएगी।

(ग) <u>वित्तीय निविदा की शर्तें</u>:–

1. सामग्रियों का दर में सभी प्रकार की लागत एवं कर अंकित एवं सम्मिलित रहेगा। (जी0एस0टी0 को छोड़कर)
2. निविदा प्रपत्र में ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
3. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा।
4. लिफाफे पर किस ग्रुप के लिए निविदा दी गई है, उसका उल्लेख करना होगा।
5. कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र मे ही निविदा देय होगा।

(signature) 23/06/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, रोहतास।